चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 21.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 21.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस उपाधीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक पद पर प्रोन्नति पाने वाले श्री अरविन्द कुमार वर्मा के कन्धों पर रैंक प्रतीक/अशोक स्तम्भ लगाकर अलंकृत किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर को शुभकामनाएं देते हुये का मुंह मीठा कराया गया तथा मन लगन से ड्यूटी के दायित्व को पुरा करने हेतु बताते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात/कार्यालय श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल,प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव उपस्थित रहें।

(3). “मिशन शक्ति-5.0” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा”

"मिशन शक्ति-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा बल की बाइक रैली के साथ जागरूकता की लहर" महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5.0" के द्वितीय चरण के शुभारम्भ पर अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा आज दिनांक 21.09.2025 को थाना कोतवाली कर्वी से बाइक रैली को हरी झण्डी दिखाकर जागरूकता हेतु रवाना किया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-
1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।
महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ
1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1090 – वीमेन पावर लाइन, 181 – वीमेन हेल्पलाइन, 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, 102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस, 108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा, 1098 – चाइल्ड लाइन, 101 – अग्निशमन सेवा, 1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।
इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।
उपरोक्त जागरूकता रैली के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,प्रभारी साइबर थाना श्रीमती रीता सिंह,प्रभारी महिला थाना नीलम,देवी सहित जारूकता रैली में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्गमचारीगण उपस्थित रहें।
(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिहं के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा नाबालिक को बहलाफुसलाकर ले जाने एवं फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग कर, नशीली दवाई खिलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि कोतवाली कर्वी अंतर्गत निवासी एक वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी नाबालिक पुत्री को अभियुक्त विद्यासागर पुत्र कुंजबिहारी बहलाफुसलाकर ले गया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 133/2026 धारा 137(2) पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी कोतवाली कर्वी को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दौराने विवेचना बयान पीड़िता अंतर्गत धारा 183 बीएसएसएस व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2),123 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 338,336,340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

आज दिनाँक 21.03.2026 को अपराध निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विद्यासागर पुत्र कुंजबिहारी शुक्ला उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.अपराध निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला

2.आरक्षी जयनारायण पटेरिया

3.आरक्षी राहुल देव